21
5-1-018

प्रेषक:

538

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुरादाबाद।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन विद्यालय
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 बोर्ड
जनपद–मुरादाबाद।

पत्रांक: मा0कॉठ/ /2016–17 दिनांक:– 27. 01. 2018

विषय:– **सिगरेट और अन्य तम्बॉकू उत्पाद अधिनियम 2003 ,(सीओटीपीए) कोटपा के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों एवं शिक्षा संस्थानों के भीतर एवं बाहर धूम्रपान व तंबाकू उत्पादों के सेवन करने एवं विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्तक विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्र सं0: जि0क0क0/एन0टी0सी0पी0/ 2017 दिनांक 29.12.2017 एवं भारत सरकार द्वारा मई 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन) पर प्रतिबन्ध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण अधिनियम (सीओटीपीए या कोटपा) 2003 लागू किया गया है। जिसमें लोगों को तम्बाकू के नुकसानदेह प्रभावों और दूसरों के धुएं (सैकेंण्ड हैंण्ड स्मोक, एसएचएस) से बचाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए गए है:–

01. शिक्षा संस्थान के प्रबंधन के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि
   (क) अपने क्षेत्राधिकार वाली जगह को धूम्रपान मुक्त रखें।
   (ख) 60x30 सेंटीमीटर का एक बोर्ड प्रमुखता से लगा हो जिसपर लिखा रहे, "धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र–यहां धूम्रपान करना अपराध है"। यह बोर्ड प्रत्येक प्रवेशद्वार, प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक सीढियों, के प्रवेश द्वार और अन्य सभी प्रमुख स्थानों पर लगा हो।
   (ग) उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ हो जिससे शिकायत की जा सकती है।
   (घ) धूम्रपान को सम्भव या सुगम बनाने वाली कोई भी चीज जैसे ऐशट्रे, लाइटर और माचिस की तीली या अन्य चीजें मुहैया नहीं कराई जाएं।
   (ण) किसी शिक्षा संस्थान से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने की इजाजत नही दी जानी चाहिए।
   (च) संस्था के प्रमुख को बोर्ड लगाना होगा जिस पर यह लिखा हो कि संस्थान से 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबन्धित है।

उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में आपकों निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संस्थान में बिन्दु संख्या–01 मे वर्णित (क) से (च) तक दिशा–निर्देशों का कढाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(प्रदीप कुमार द्विवेदी)
जिला विद्यालय निरीक्षक
मुरादाबाद।

पृ0सं0: मा0कांठ/ 11736-38 / 2017–18 दिनांक:– उक्तवत्।

प्रतिलिपि: – निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय,मुरादाबाद।
02. जनपद सलाहकार, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।

जिला विद्यालय निरीक्षक
मुरादाबाद।

28/1/2018